न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–355/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/355)

1. लालाराम लोधा पुत्र श्री नारायण सिंह लोधा, जाति लोधा, निवासी 98, रेलनगर, रतलाम (मध्यप्रदेश)

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2022 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,ब्यावर राजस्व वाद संख्या 30/2022

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश साहू, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01.

निर्णय

दिनांकः–16.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट ने वर्तमान रेस्पोडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर, जिला अजमेर के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकी कायम किए उभयपक्षों की बसह सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2022 पारित कर वादी का वाद खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि जब उनके समक्ष प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया था तो दावे तथा जवाब दावे के आधार पर तनकीया कायम की जाकर तनकी वाईस विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परंतु

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियात कायम किए आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2022 पारित किया है। वाकै ग्राम बलाड पटवार हल्का बलाड तहसील ब्यावर में आराजी खसरा नम्बर 2872/891, 914, 915, 893, 2706/1804 स्थित है। उपरोक्त आराजी अपीलांट की माता की पुश्तैनी हस्ब खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट की माता का नाम ईश्वरी अंकित हो रखा है। अपीलांट की माता का विवाह नारायण सिंह से हुआ, अपीलांट के पिता नारायण सिंह रेल्वे में कार्यरत थें जिनके सर्विस रिकार्ड में अपीलांट की माता का नाम मिश्रीबाई अंकित है, और उसी अनुसार अपीलांट की माता के पेंशन सर्विस रिकार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड आदि में भी उसका नाम मिश्रीबाई लिखा हुआ है। ईश्वरी व मिश्रीबाई दोनों नाम अपीलांट की माता के ही नाम है। लेकिन अपीलांट की माता का सही व वास्तविक नाम मिरीबाई है। आपीलांट की माता का सही व वास्तविक नाम मिश्रीबाई है। अपीलांट की माता मिश्रीबाई उर्फ ईश्वरी की मृत्यु दिनांक 27.08.2020 को हो गई। जिसे दुरूस्त करवाने का अपीलांट अधिकारी है। अपने दावा को साबित करवाने के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित एवं पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त समस्त विधिक दस्तावेजों के बावजूद भी निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2022 को पारित कर वादी का वाद मुख्यता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका/जांच रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। जिसमें तहसीलदार ने यह अंकित यिका है कि पटवारी हल्का द्वारा जाचं करवाने पर अपीलांट की माता को ग्रामवासी ईश्वरी नाम से ही जानते हैं और वह कई वर्षो से अपने परिवार के साथ बाहर गई हुई है। उक्त मौका/जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में उसकी पीठ पीछे तैयार की गई है। यदि उक्त मौका/जांच रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की जाती तो अपीलांट उन्हें ग्राम के उन बुजुर्ग व्यक्तियों व महिलाओं से मिलता जो अपीलांट की माता को अच्छी तरह से जानते है और वह उन्हें यह बताते की अपीलांट की माता का नाम मिश्रीबाई है। तथा विवाह के बाद से वह अपने ससुराल में निवास कर रही हे। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा अपने कार्यालय में ही बैठकर कर मनमाने तरीके से तैयार की गई है। और विधिक प्रावधानों के अनुसार जहां पर दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त है तो दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त समस्त विधिक दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विवादित निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट/वादी ने अपने दावे को साबित करनवाने के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित एवं पर्याप्त दस्तावेजात प्रस्तुत किए थे एवं स्वतंत्र गवाहों बलराम पुत्र रामदयाल, जयचंद पुत्र रामप्रसाद, सह खातेदार रमेश पुत्र भवानीराम, गंगाबाई पुत्री भवानीराम तथा स्वयं के बयानात करवा कर अपने दावे का बखूबी साबित किया था और वादी ने अपनी माता का आधार कार्ड सर्विस रिकार्ड, पेंशन रिकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र सजरा प्रमाण पत्र, डाकखाते की पासबुक आदि प्रस्तुत की थी, जिसमें वादी की माता का नाम मिश्रीबाई पत्नी नारायणसिंह अंकित था। तथा वादी ने अन्य आराजी की

Scanned with CamScanner

जमाबंदी विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किए थे जिसमें वादी की माता का नाम ईश्वरी पत्नी नारायण सिंह अंकित है। अर्थात उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट साबित हो जाता है कि ईश्वरी व मिश्रीवाई दोनों एक ही महिला के नाम है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का बिना कोई विवेचन किए मनमाना विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2022 पारित कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्र क्रमांक 1803 दिनांक 16.03.2022 में कथन किया है कि पटवारी हल्का बलाड से जांच करवाई गई मुताबिक जांच रिपोर्ट वादी अपनी माता का नाम ईश्वरीदेवी पत्नी नारायण का नाम शुद्ध करवाकर मिश्रीबाई पत्नी नारायण करवाने बाबत वाद प्रस्तुत किया है परंतु वादी का परिवार वर्षों से ग्राम में निवास नहीं करता है तथा वादी की माता को ग्रामवासी ईश्वरीदेवी के नाम से ही जानते है मिश्रीबाई नाम से ग्राम में कोई नहीं पहचानता है मजमे आम में नाम की पहचान ना होने से वाद निरस्त किए जाने की अनुशंषा की जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी की माता का नाम ईश्वरी के स्थान पर मिश्री बाई के नाम दुरूस्त किए जाने हेतु दिनांक 23.2.2022 को प्रस्तुत किया था जिस बाबात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा राजस्व वाद को दिनांक 23.2.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेट से बिंदुवार रिपोर्ट मंगवाई जाने का आदेश प्रदान किया था तथा उक्त अनुक्रम में संबंधित तहसीलदार, ब्यावर दिनांक 16.3.2022 को जवाब/बिंदुवार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रकार से विधिनुसार दावा प्रस्तुत होने पर तथा जवाब प्रस्तुंत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित वाद बाबत जाप्ता दीवानी के प्रावधान के अनुसार तनकीया कायम कर तथा उक्त तनकीयों पर वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ग्रहण किए जाने के उपरांत ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परंत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से तनकी निर्णित ना कर और ना ही उन तनकी पर किसी प्रकार से वादी एंव प्रतिवादी के साक्ष्य ग्रहण कर उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 12.10.2022 सरसरी तौर से पारित किया है जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होने से उक्त आदेश इसी स्तर पर निरस्त किए जोन योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीया कायम कर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य समाहित कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का विधिक अवलोकन कर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीया कायम कर, वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य समाहित कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का विधिक अवलोकन कर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner